

an>

Title: Introduction of the Consumer Protection (Amendment) Bill, 2016 (*Amendment of section 2*).

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरताव करता हूँ कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Consumer Protection Act, 1986. "

*The motion was adopted.*

डॉ. संजय जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।